Phone & Fax:- 0135-2530467,2530431 Web- http:/govt.ua.nic.in/pwd E-Mail-eicpwduk@nic.in

पत्रांक– 2087/35व्यक–सा0/18 दिनांकः– 07/09/2018

सेवा में,

क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
पौड़ी/अल्मोड़ा/हल्द्वानी/पिथौरागढ़/
टिहरी एवं देहरादून।

02– क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0/रा0मा0/
ए0डी0बी0/बर्ल्ड बैंक,
अल्मोड़ा/देहरदून/हल्द्वानी।

विषयः– लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत तकनीकी/गैर तकनीकी कार्मिकों के हुये स्थानान्तरण फलस्वरूप नवीन तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त/योगदान किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– इस कार्यालय के पत्रसंख्या–1531/34व्यक–स्था0–सा0/18 दिनांक–11.07.2018 एवं पत्रसंख्या–1688/34व्यक–स्था0–सा0/18 दिनांक–24.07.2018

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों का अवलोकन करें, जिसके द्वारा लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत तकनीकी/गैर तकनीकी कार्मिकों के शासन/विभागाध्यक्ष कार्यालय स्तर से हुये कार्मिकों के स्थानान्तरण फलरूवरूप कतिपय कर्मचारियों के द्वारा आतिथि तक नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान/कार्यमुक्त नहीं किये गये है।

उक्त वर्णित पत्रों से बार–बार निर्देशित किया गया है कि स्थानान्तरण कार्मिकों को नवीन तैनाती हेतु कार्यमुक्त/योगदान करने की सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिये गये है, परन्तु कतिपय कार्यालय/कार्मिकों द्वारा नवीन तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त/योगदान नहीं किया गया है, यह सरासर उच्च स्तर से प्राप्त आदेशों की अवहेलना है। इससे यह प्रतीत होता है कि या तो आपके कार्यालय स्तर पर अराजकता जैसी स्थिति है या फिर अधीनस्थ स्टाफ पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। आपको यह भी अवगत कराना है कि स्थानान्तरण हुये कार्मिकों के नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान/कार्यमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में शासन स्तर पर समीक्षा अतिशीघ्र होनी है।

अतः उक्त सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि विभागान्तर्गत शासन/विभागाध्यक्ष कार्यालय स्तर से हुये तकनीकी/गैर तकनीकी कार्मिकों के स्थानान्तरण फलरूवरूप नवीनी तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त/योगदान आख्या अपने अधीनस्थ कार्यालयों से प्राप्त कर **संकलित आख्या ई–मेल/फैक्स अथवा विशेष वाहक के माध्यम से आज ही** इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यमुक्त/योगदान आख्या उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में आपका नाम शासन को प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान किये जाने हेतु प्रेषित कर दिया जायेगा। उक्त आदेशों का कडाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें।

(आर0सी0 पुरोहित)
प्रभारी प्रमुख अभियन्ता

I.T
Uploaded.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को उपरोक्तानुसार तत्काल कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग, को उपरोक्तानुसार।
3. अधिशासी अभियन्ता आई0टी0 सैल, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित है प्रश्नगत प्रकरण को लोक निर्माण विभाग की बैवसाईट पर अपलोड /ई–मैल करवाना सुनिश्चित करें।
4. वरिष्ट/प्रशासनिक अधिकारी–क/ख/ग/घ एवं वर्कचार्ज, विभागाध्यक्ष कार्यालय, देहरादून।
5. गार्ड पत्रावली हेतु।

(देवेन्द्र शाह)
अधिशासी अभियन्ता

प्रभारी प्रमुख अभियन्ता
07/09/18